महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाड़ा (राज.)

❁ नागरिक अधिकार पत्र ❁

यह नागरिक अधिकार पत्र, जिला चिकित्सालय द्वारा दी जाने वाली चिकित्सा सेवाओं की सूचना का संकलन है

सामान्य सूचना :–

महात्मा गांधी चिकित्सालय 'A' श्रेणी का राजकीय जिला चिकित्सालय है। जो अजमेर–उदयपुर मार्ग के मध्य, अजमेर से 135 किमी. दूर स्थित है। जिले भर में आने वाले बीमारों को, आवश्यकतानुसार उचित चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के सभी संभव प्रयास किये जाते है।

अधिकारी एवं कर्मचारी :–

विभिन्न रोगों से सम्बन्धित 55 चिकित्सा अधिकारियों एवं विषय विशेषज्ञों, 130 पुरुष एवं महिला नर्सिंग कर्मचारियों/टेक्नीशियनों, 140 वार्ड बॉय/सफाई कर्मचारियों एवं 25 मंत्रायलिक कर्मचारियों के सहयोग से इसका संचालन किया जा रहा है।

जिला अस्पताल का प्रशासनिक नियन्त्रण "प्रमुख चिकित्सा अधिकारी" द्वारा किया जाता है। जिनकी मदद के लिए एक "उपनियन्त्रक" चिकित्सा अधिकारी कार्यरत है।

अस्पताल का समय :–

चिकित्सालय में बहिरंग (OPD) रोगियों के देखने का समय निम्न प्रकार है।

अवधि	प्रातः	सांयकाल
* 1 अप्रेल से 30 सितम्बर (ग्रीष्मकाल)	8 से 12 बजे	5.30 से 7 बजे
* 1 अक्टूबर से 31 मार्च (शीतकाल)	9 से 1 बजे	5 से 6.30 बजे
* राजपत्रित अवकाश एवं रविवार के दिन	8 से 10 बजे	–

Scanned by CamScanner

आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं :–

अस्पताल समय के बाद आपात सेवाऐं 24 घण्टे उपलब्ध है। एक चिकित्सा अधिकारी दिन की पारी में, तथा दो चिकित्सा अधिकारी रात्रि पारी में, मय नर्सिंग स्टाफ, आपात कक्ष में चिकित्सा सेवाऐं देते है।

आपात कक्ष में सभी तरह की जीवन रक्षक दवाईयां, ऑक्सीजन आदि हमेशा उपलब्ध रहती है एवं निःशुल्क दी जाती है।

आपात कक्ष में कार्यरत चिकित्सा अधिकारी द्वारा, आवश्यकता होने पर किसी भी विशेषज्ञ को, कभी भी काल पर बुलाकर गंभीर बीमार को चिकित्सा सेवाऐं दी जाती है।

शल्य चिकित्सा कक्ष में 24 घण्टे नर्सिंग स्टाफ ड्यूटी पर तैनात रहता है, हर समय शल्य क्रिया की सुविधा गंभीर रोगियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। परिस्थितियों का आंकलन रोगी की अवस्था एवं चिकित्सक के विवेक पर निर्भर करता है।

पूछताछ एवं रजिस्ट्रेशन :–

पूछताछ एवं पंजीकरण सेवाऐं, चिकित्सालय के मेन हॉल में उपलब्ध है। शिशु एवं जनाना आउड डोर नऐ विंग में काम कर रहा है। RMRS द्वारा निर्धारित अनुदान, आउट डोर के लिए एक रूपया एवं भर्ती कार्ड के लिये पांच रूपया प्रति बीमार लिया जाता है।

गरीब, चयनित कार्ड धारक, पेन्सनर, विधवा, वरिष्ठ नागरिक (70 वर्ष से ऊपर) विकलांग, स्वतंत्रता सैनानियों के रजिस्ट्रेशन एवं भर्ती के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है।

आपात कक्ष से भर्ती रोगी के बारे में जानकारी, नऐ बीमार का INDOOR टिकिट, चिकित्सक एवं स्टाफ की ड्यूटी सम्बंधित जानकारी की जा सकती है।

चिकित्सालय में आवश्यकतानुसार सुविधा स्थिति संकेतक लगाऐ हुऐ है। जिससे विभिन्न वार्डों/आउटडोरों तथा कक्षो तक पहुँचा जा सकता है। स्वागत कक्ष के समीप ही कार्य पर उपस्थित चिकित्सकों/कर्मचारियों सम्बंधि सूचना, चिकित्सा अधिकारियों के अवकाश की सूचना, एक श्याम पट्ट पर रोजाना अंकित की जाती है।

बहिरंग रोगी सेवाऐं :–

चिकित्सालय के मुख्य भवन में स्थित बाहिरंग विभाग में निम्नलिखित विशेषज्ञ सेवाऐं प्रतिदिन उपलब्ध है :–

* मेडिसिन विभाग
* शल्य विभाग
* नैत्र विभाग
* कान–नाक–गला विभाग
* दन्त विभाग
* मानसिक रोग विभाग
* चर्म रोग/यौन रोग विभाग
* अस्थि रोग विभाग
* फिजियोथिरपी विभाग
* मेडिकोलीगल विभाग

इसके अतिरिक्त चिकित्सालय परिसर में ही पृथक भवनों में निम्न विशेषज्ञों की सेवाऐं संचालित है :–

* स्त्री रोग एवं प्रसूती विभाग
* शिशु विभाग
* परिवार कल्याण सेवाऐं
* टीकाकरण सुविधाएं
* क्षय निवारण केन्द्र

प्रसूति सेवाएं :–

अस्पताल में 24 घण्टे प्रसूति सेवाऐं निःशुल्क उपलब्ध है। प्रतिमाह 400 से 450 प्रसव कराऐ जाते है।

किसी भी कर्मचारी को इस बाबत शुल्क/बख्शीस/उपहार देना/लेना मना है।

टीकाकरण :–

अस्पताल समय में विभिन्न बिमारियों के बचाव हेतु, शिशुओं को टीकाकरण की सुविधा, निःशुल्क दी जाती है। निःशुल्क लगाऐ जाने वाले टीकों का विवरण इस प्रकार है :–

* बी.सी.जी.
* पोलियो
* डी.पी.टी.
* मीजल्स

Scanned by CamScanner

परिवार कल्याण सेवाऐं :–

मातृ एवं शिशु बहिरंग भवन में इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न सेवाऐं दी जाती है।

* परिवार कल्याण परामर्श
* निरोध
* ओरल पिल्स
* आईरन एवं फोलिक एसिड गोली
* इंजेक्शन टेटेनस टोक्साईड
  (गर्भवती महिलाओं के लिए)

स्त्रियों के लिये Laproscopy/ tubectomy operation सेवाऐं अस्पताल में समय में, रोजाना निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। पुरुषों के लिए Vasectomy operation की सुविधा भी अस्पताल में हमेशा उपलब्ध है।

अर्न्तवासी रोगियों के लिए सुविधाऐं :–

इस चिकित्सालय में विभिन्न रोगों से सम्बन्धित 393 शैयाऐं है। अर्न्तवासी विमारों से पांच रूपया प्रति रोगी भर्ती अनुदान लिया जाता है।

सक्षम एवं अधिक सुविधा की इच्छा रखने वाले विमारों के लिए परिसर में दस कोटेज वार्ड है। निर्धारित शुल्क 50/– रू. प्रतिदिन पर उपलब्ध है। इनका आवंटन उपनियन्त्रक द्वारा आवश्यकता एवं वरियता क्रम द्वारा किया जाता है। कोटेज वार्ड का संचालन राज. मेडिकल रिलिफ सोसायटी द्वारा किया जाता है।

अत्याधुनिक उपकरण युक्त वातानुकुलित सभी सुविधा युक्त 12 शैयाओं वाला I.C.U. वार्ड है। इसके लिये प्रतिरोगी 150 रू. अनुदान राशि RMRS द्वारा ली जाती है, जो इसके रख रखाव हेतु प्रयुक्त की जाती है। इसके अलावा आठ शैयाओं का पृथक केबिनों वाला बर्न युनिट तथा 10 शैयाओं का ट्रोमा वार्ड भी सभी आवश्यक, आपात संसाधनों युक्त संचालित किया जा रहा है।

क्षय रोग के रोगियों के लिए परिसर में ही एक अलग अस्पताल में 20 शैयाओं वाला पृथक वार्ड व आउट डोर संचालित किया जा रहा है।

शिकायत एवं सुझाव :–

कभी–कभी सम्भव है, चिकित्सा सेवाएं आपकी आशा व अपेक्षा के अनुरूप न हो। ऐसी स्थिति में सेवाओं के स्वरूप को सुचारू बनाये रखने के

लिये, प्रत्येक नागरिक से यह अपेक्षा की जाती है कि ऐसे सेवा दोषों के सम्बन्ध में लिखित में अपनी शिकायत/सुझाव, नियन्त्रक/उपनियन्त्रक तक पहुंचायें। आपके सुझाव/शिकायत के लिये आपात कक्ष के बाहर एक पेटिका लगा रखी है। आप अपनी शिकायत व्यक्तिगत उपस्थित होकर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से कर सकते हैं।

चिकित्सालय प्रबन्धन की कोशिश रहती है कि शिकायतकर्ता का नाम/पता उपलब्ध होने पर तुरन्त ही कार्यवाही की जावे। आप अपनी शिकायत श्रीमान् जिलाधीश, श्रीमान् निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं श्रीमान् शासन सचिव महोदय राजस्थान जयपुर को मय तथ्यात्मक विवरण के साथ पत्र भेज सकते हैं।

दस्तावेजों की प्रतिलिपि हेतु आवेदन :–

भर्ती किये गये रोगियों का रिकार्ड, मेडीकोलीगल केसेज का रिकार्ड आदि, रिकार्ड रूम में सुरक्षित रखा जाता है।

आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय, पुलिस एवं सक्षम अधिकारी के लिखित निर्देशानुसार ही उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके लिये उपनियन्त्रक से सम्पर्क करें।

दस्तावेजों में किसी प्रकार का परिवर्तन (नाम/पति/पिता का नाम आदि) न्यायालय की सीमाओं में ही किया जा सकेगा।

चिकित्सा परामर्श :–

सभी प्रकार के बीमारों को, इस चिकित्सालय में, अस्पताल समय में निःशुल्क परामर्श दिया जाता है। अस्पताल समय के अलावा रोगी किसी चिकित्सक से परामर्श लेता है तो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित परामर्श शुल्क देकर, इस सुविधा का उपयोग कर सकता है।

टेलीफोन सुविधा :–

महात्मा गांधी अस्पताल का टेलीफोन नम्बर 20400 व 102 है।

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कार्यालय का टेलीफोन नम्बर 20139 है।

इसके अलावा अस्पताल के अन्दर विभिन्न विभागों में संचार सुविधा हेतु एक 84 लाईनों का एक्सचेन्ज कार्यरत है।

टेलीफोन एक्सचेन्ज में सुबह 7 से सायं 7 बजे तक दो ऑपरेटरों की ड्यूटी रहती है।

Scanned by CamScanner

पानी की व्यवस्था :–

अस्पताल उपयोग हेतु परिसर में एक बोरिंग किया हुआ है। ज्यादातर जलापूर्ति इसी से की जा रही है। कुछ जलापूर्ति जलदाय विभाग द्वारा की जाती है।

बीमारों के परिजनों के लिये दानदाता द्वारा निर्मित एवं संचालित प्याऊ से ठण्डे एवं स्वच्छ पानी की व्यवस्था है। अस्पताल भवन में भी दान दाताओं द्वारा प्रदत्त कूलर द्वारा पीने के पानी की समुचित व्यवस्था है।

चिकित्सालय में भोजन व्यवस्था :–

अस्पताल में भर्ती गरीब बीमारों को, चिकित्सा अधिकारी के परामर्श पर दाल, दलिया, चपाती, हरी सब्जी, दूध आदि निःशुल्क वितरित की जाती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम :–

चिकित्सालय में निम्नलिखित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित है :–

* परिवार कल्याण कार्यक्रम
* पल्स पोलियो कार्यक्रम
* क्षय रोग उन्मूलन (DOTS)
* मलेरिया उन्मूलन
* अन्धता निवारण कार्यक्रम
* Aids नियन्त्रण कार्यक्रम
* कुष्ठ रोग नियन्त्रण कार्यक्रम
* यौन रोग नियंत्रण कार्यक्रम

उपरोक्त सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों में, अलग–अलग अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी सेवाऐं दे रहे हैं। ये सभी कार्यक्रम सरकार द्वारा निःशुल्क संचालित किये जा रहे हैं।

चयनित परिवार कार्ड धारक

राज्य सरकार द्वारा गरीबों को चिकित्सा सेवाऐं मुफ्त प्रदान करने के उद्देश्य से, चिकित्सा कार्ड वितरित किये हैं।

चयनित कार्ड धारक को कार्ड दिखाने पर सभी चिकित्सा सेवाऐं एवं औषधियां मुफ्त प्रदान की जाती है।

राज. मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी :–

अस्पतालों के अच्छे संचालन बाबत, प्रबन्धन में जनता की भागीदारी करने तथा व्यवस्था के लिये आर्थिक संसाधन जुटाने बाबत, राज. मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी का गठन किया हुआ है। इस सोसायटी में जिलाधीश अध्यक्ष एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सचिव का कार्य करते हैं। लोकसभा सदस्य, विधायक महोदय एवं गणमान्य व्यक्ति इसके सदस्य हैं। सोसायटी द्वारा अस्पताल संचालन राज्य सरकार के नियमों द्वारा ही किया जाता है। रजिस्ट्रेशन, विभिन्न जांचों तथा निर्धारित शुल्कों की राशि RMRS द्वारा अस्पताल में खर्च की जाती है। सोसायटी के लाभांश का 25% चयनित परिवार कार्ड धारकों के इलाज में खर्च किया जाता है।

गरीब चयनित परिवार पेन्शनर, विधवा, वरिष्ठ नागरिकों, स्वतन्त्रता सेनानियों, विकलांगों तथा दुर्घटना ग्रस्त बीमारों को अस्पताल में संचालित सभी जांचों, एक्सरे RMRS द्वारा निःशुल्क किये जाते हैं।

जांच एवं निदान सुविधा :–

चिकित्सालय में विभिन्न प्रकार की जांच एवं निदान की सुविधा उपलब्ध है :–

* एक्सरे
* सोनोग्राफी
* खून/मुत्र की विविध प्रयोगशाला जांच
* रक्त बैंक
* ई.सी.जी.
* Gastroscopy
* Cystoscopy
* Nasopharyngoscopy

उपरोक्त जांचों के लिये शुल्क की दर विभागों के बाहर लगा रखी है। No Loss/No Profit के आधार पर शुल्क लिया जाता है। जिसकी रसीद दी जाती है। जो RMRS में जमा की जाती है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार उपरोक्त सभी सुविधाओं का चयनित परिवार धारकों, विधवा, पेन्शनर, वरिष्ठ नागरिक (70 साल से ऊपर), स्वतन्त्रता सेनानी, विकलांगों से शुल्क नहीं लिया जाता है।

एक रक्त की बोतल पर इसकी जांच में हुआ खर्च 250/– प्रति बोतल लिया जाता है।

Scanned by CamScanner